

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, उदयपुर जिला उदयपुर (राज.)  
पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या: 212/2023/ सरफैसी

भारतीय स्टेट बैंक रासमेक, प्लॉट नं.-1 ब्लॉक-सी, प्रथम तल सेन्द्रल कॉमर्शियल  
एरिया, परशुराम चौराया के पास उदयपुर, राजस्थान 313001

.....प्रार्थी

**बनाम**

श्री सुन्दर लाल गर्ग पुत्र स्व. श्री माधव लाल गर्ग बी-6, अरिहन्त कॉलोनी, पुरोहितों  
की मादडी कानपुर, जिला उदयपुर –राजस्थान 313001

एवं

403-सी-8, कोसमोस, अशोक वन बोरीवली ईस्ट, मुंबई-400066

मृतक ऋणी एवं सुरक्षित देनदार स्व. श्री माधव लाल गर्ग पुत्र श्री शंकर लाल गर्ग के  
कानूनी वारिस –

- (1) श्री सुन्दर लाल गर्ग पुत्र स्व. श्री माधव लाल गर्ग
- (2) श्री उमेश्वर कुमार गर्ग पुत्र स्व.श्री माधव लाल गर्ग
- (3) विमला गर्ग पुत्री स्व. श्री माधव लाल गर्ग
- (4) भारती गर्ग पुत्री स्व. श्री माधव लाल गर्ग
- (5) श्रीमती पुष्पा देवी गर्ग पत्नी स्व. श्री माधव लाल गर्ग

बी-6, अरिहन्त कॉलोनी, पुरोहितों की मादडी कानपुर, जिला उदयपुर –राजस्थान  
313001

.....ऋणी / अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति  
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002



उपस्थित: श्री रामनिवास स्वामी अधिकृत प्रार्थी बैंक

**आदेश**

दिनांक 06-11-2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय सम्पत्तियों की  
प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत विरुद्ध  
अप्रार्थीगण के विरुद्ध पेश किया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी  
बैंक / वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि 18,90,000/- रुपये की ऋण सुविधा  
उपलब्ध करवायी गई तथा पुनः भुगतान हेतु अप्रार्थीगण की जायदाद (स्व. श्री माधव  
लाल गर्ग पुत्र श्री शंकर लाल गर्ग के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पति प्लॉट नं.  
-बी-6, खसरा नं.-830, 834, 838-839, 842-848, 850, 851-856 जो पुरोहितों की  
मादडी कानपुर, जिला उदयपुर –राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग  
1562.50 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व : रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट, आराजी नं. 802 एवं  
803, उत्तर : प्लॉट नं बी-5, बी-9, दक्षिण : प्लॉट नं.-बी -7,बी-8) को प्रार्थी

M  
जिला कलक्टर  
उदयपुर

बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन/हाईपोथिकेशन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि मय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी किये गये। अतः नोटिस प्राप्ति/सूचना के पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि मय ब्याज दिनांक 03.02.2023 तक 17,41,084/- रूपये भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने अप्रार्थीगण के द्वारा बतौर जमानत रहन/ हाईपोथिकेशन रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को सम्भलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी को भी सुना। प्रार्थी बैंक/वित्तीय कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपय 18,90,000/-रूपये की ऋण सुविधा प्रदान की है तथा अप्रार्थीगण बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी एवं अप्रार्थीगण से दिनांक 03.02.2023 तक 17,41,084/- रूपये वसूल किये जाने हैं। "दी सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002" की धारा 14 में उक्त रहन रखी गई सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक/कम्पनी को कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं इस स्तर पर विचाराधीन हस्तगत कार्यवाही में अप्रार्थीगण/ऋणीयो को अन्य तथ्यो के संबंध में सूने जाने या नये तथ्यों के निस्तारण के संबंध में कोई वैधानिक क्षेत्राधिकारीता इस न्यायालय में निहित न होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में प्रतिभूति के रूप में रखी गई उक्त अपनी जायदाद (स्व. श्री माधव लाल गर्ग पुत्र श्री शंकर लाल गर्ग के नाम साम्यिक बंधक आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं.-बी-6, खसरा नं.-830, 834, 836-839, 842-848, 850, 851-856 जो पुरोहितों की मादडी कानपुर, जिला उदयपुर -राजस्थान पर स्थित है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 1562.50 वर्ग फीट है। सीमाएं- पूर्व : रोड, पश्चिम : अन्य प्लॉट, आराजी नं. 802 एवं 803, उत्तर : प्लॉट नं बी-5, बी-9, दक्षिण : प्लॉट नं.-बी-7,बी-8) का कब्जा अप्रार्थीगण से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस, प्रार्थी को सम्भलाये जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, उदयपुर को प्रेषित करते हुए लिखा जावे कि बंधक सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करते समय प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उनकी मांग अनुसार पुलिस बल उपलब्ध करावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।



M

(अरविन्द कुमार पोसवाल )  
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
उदयपुर